बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–75/2019 · 5549 /पटना, दिनांक–23/10/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:–

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Danapur	Bihta	Laxmanpur Bajrangbali (Primary School Milki Par)	1.250	32.07000	11.67000	3.20700	46.94700
2	Danapur	Phulwari Sharif	Kharaura Naubatpur Road To Korra	1.900	37.76000	18.80000	3.77600	60.33600
3	Danapur	Bihta	Gandhi Halt To Ticketpur	1.263	33.93300	13.41000	3.39330	50.73630
4	Danapur	Maner	Nh-30 Mahadeo Asthan To Madhopur	2.000	44.20000	20.52700	4.42000	69.14700
5	Danapur	Danapur	NH-30 Sahpur To Sarai Path	4.105	122.21000	42.15600	12.22100	176.58700
6	Danapur	Phulwari Sharif	Chakmusa Nakti Bhawan To Jamaluddin	3.600	102.14700	36.97600	10.21470	149.33770
7	Danapur	Bihta	NH-30 To Modahi	2.050	86.56800	21.26800	8.65680	116.49280
8	Danapur	Maner	Gulbi Bagh To Bahpura	7.925	232.43400	79.76300	23.24340	335.44040
9	Danapur	Maner	Tajpur Road To Maula Via Sivarbhukka	3.800	113.32300	38.98200	11.33230	163.63730
10	Danapur	Bihta	Bihata Lai Road To Kunjwa	2.700	51.27500	28.06100	5.12750	84.46350
11	Danapur	Bihta	Bihata Lai Road To Kaliganj	3.350	88.78800	34.52900	8.87880	132.19580
12	Danapur	Bihta	Basantchak To Sadisopur	4.600	146.30100	44.28500	14.63010	205.21610
13	Danapur	Danapur	Danapur Cantonment To Chand Mari Lodipur Band Tak	1.821	87.20800	12.51700	8.72080	108.44580
14	Danapur	Phulwari Sharif	Phulwari Mission Road To Ganipar	3.220	67.64600	30.61500	6.76460	105.02560
15	Danapur	Phulwari Sharif	Kururi Madhy Devi Sthan To Kutkuri Main Road	1.800	67.69500	11.50000	6.76950	85.96450

23/10/19

Scanned with CamScanner

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Co
1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Danapur	Danapur	Raghurampur Panchayat Turha Toli Nurpur Chandmari To Sikandarpur Mushari Tak and Khirnichak To Dheneshar Sing House	2.561	92.79800	20.92500	9.27980	123.00280
17	Danapur	Phulwari Sharif	Khagaul Naubatpur Road To Mohammadpur Kurji	5.360	120.95900	54.74500	12.09590	187.79990
18	Danapur	Bihta	Paharpur Village To Dehri Nahar in Kanpa Road	1.950	67.28500	20.41000	6.72850	94.42350
19	Danapur	Danapur	Gaunpura Middle School To Alampur	1.300	27.93700	13.12300	2.79370	43.85370
20	Danapur	Danapur	R.K. Puram Chowk To Asopur Mathiyapur Path Via Blue Bells School	1.250	48.71200	12.83800	4.87120	66.42120
21	Danapur	Danapur	Mathiyapur To Ashopur Lakhanibigaha	0.510	8.45700	3.91000	0.84570	13.21270
22	Danapur	Danapur	Sarari Panchayat Bhawan To Ghusuk Tola Road	1.700	31.18100	16.21200	3.11810	50.51110
	Total			60.015				2469.19770

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, दानापुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **01.06.2019** एवं **15.07.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 21.9.19 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–75/2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजन कार्यान्वित की जाय।

Scanned with CamScanner

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054 04-75/2019 के पृ0-14/टि0 पर दिनांक-22.10.19-को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

23/10/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-75/2019 5549/पटना, दिनांक-23/10/19

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/19

अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-75/2019 5549/पटना, दिनांक-23/10/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **पटना**/जिला पदाधिकारी, **पटना**/उप विकास आयुक्त, **पटना**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता-1** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **पटना**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **दानापुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/10/19.

अपर सचिव

Scanned with CamScanner